Spl. Sec.

O. S. D. (K)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0र, –I/शे0स्था0नि0/14473/2193 दिनांकः– 29.01.15

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, जगदीशपुर के वर्ष 2012–13 से 13–14 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 614/14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

28/01/15

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग, पत्र पंजी
09 FEB 2015
संख्या 1243

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–614/14–15
भाग– I
प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	**कार्यालय, नगर पंचायत जगदीशपुर**
2	निरीक्षण का वर्ष एवं कार्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2012-13 एवम् 2013-2014 तक संबंधित लेखा अभिलेखों की जाँच
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	01.04.2012 से 31.03.2014 तक
4	लेखापरीक्षा की अवधि	19.05.2014 से 24.05.2014 तक
5	कार्यालय प्रधान का नाम	**श्री अनुभूति श्रीवास्तव**
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्यों के नाम	श्री विश्वपति सिंह, स.ले.प.अ. श्री चितरंजन कुमार, स.ले.प.अ. श्री चन्दन पासवान , ले.प. **श्री राकेश कुमार सिंह, ले.प.**
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता
8	क्या विभागीय उच्चाधिकारी, वित्त विभाग द्वारा लेखा अभिलेखों का निरीक्षण किया गया था ?	नहीं
9	सामान्य अभ्युक्तियाँ	सामान्य रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था।
10	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार–विमर्श किया गया ?	हाँ, दिनांक 24.05.2014 को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय नगर पंचायत, जगदीशपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। यदि इकाई द्वारा कोई सूचना गलत दी गई है तो उसका उत्तरदायित्व कार्यालय, महालेखाकार (ले. प.), बिहार, पटना का नहीं होगा।

1152

कंडिका सं.–11(i) अधिदृश्य (आय– व्यय)

नगर पंचायत, जगदीशपुर सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्रोत से प्राप्त आय से वित्त पोषित होती है। वर्ष 2012–13 से 13–14 तक के आय– व्यय विवरण निम्न प्रकार है–

1	प्रारंभिक शेष	16436097
2	वर्ष की कुल प्राप्ति	100367576
3	कुल प्राप्त राशि (1+2)	116803673
4	कुल व्यय राशि	48114667
5	अन्तशेष (3–4)	68689006

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर)

कंडिका सं.–11(ii) समाशोधन विवरणी प्रस्तुत नहीं

विभिन्न रोकड़ बहियों एवं संबधित बैंक पासबुक का दिनांक 31.03.14 तक का अंतशेष विवरणी इस प्रकार है।

क0सं0	रोकड़बही का नाम	रोकड़ बही का अंतशेष	पासबुक का अंतशेष	अन्तर की राशि	बैंक का नाम
1.	बी0आर0जी0एफ	109354	57562	51792	पी.एन.बी. खाता सं. 6003000100040325
2	शहरी गरीबी उन्मुलन योजना	402460	426716	24256	ग्रामीण बैंक खाता सं.– 8884

बैंक समाशोधन विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाए।

कंडिका सं.– 12

लेखापरीक्षा का परिणाम

1.	लेखापरीक्षा के दौरान जमा की गई राशि	शून्य
2.	लेखापरीक्षा द्वारा वसूली हेतु सुझाई गई राशि	1376978.00
3.	लेखापरीक्षा के आपत्ति के अधीन रखी गई राशि	2489865.00

(विस्तृत विवरणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट– XIII में संदर्भित)

(151)

भाग– II
खण्ड – 'क'

कंडिका सं.–1 सैरात की बन्दोबस्ती में अनियमितता के कारण राजस्व हानि

कार्यालय नगर पंचायत, जगदीशपुर के वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लेखाओं के जॉच के कम में पाया गया कि सैरातों की बन्दोबस्ती में कार्यालय द्वारा अनियमितता बरती गयी। सैरातों की बन्दोबस्ती में अनियमितता के कारण नगर पंचायत कोष को वित्तीय क्षति हो रही थी। नगर पंचायत, जगदीशपुर द्वारा सैरात पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण सैरातों की सही संख्या ज्ञात करना संभव नहीं था। सैरातों के बन्दोबस्ती से संबंधित अनियमितताएँ अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

क्र. सं.	सैरात का नाम	2012–13 में बन्दोबस्ती की निर्धारित राशि	2013–14 में बन्दोबस्ती की निर्धारित राशि	2012–13 में बोली लगाने वाला का नाम/राशि	2013–14 में बोली लगाने वाला का नाम/राशि	2012–13 में राजस्व की हानि	2013–14 में राजस्व की हानि	राजस्व की कुल हानि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बस, मैक्सी, टैक्सी, जीप, टैम्पु स्टैंड	915000	1006500	–	1 मुकेश कुमार ₹1150000 2 राजीव कुमार ₹1130000	–	256500	256500	(i) 2013–14 में अधिकतम डाकवक्ता मुकेश कुमार के नाम डाक स्वीकृत परन्तु निलामी का 60 प्रतिशत जमा नहीं होने के कारण बन्दोबस्ती रद्द (ii) बन्दोबस्ती की निर्धारित राशि 2013–14 में ₹1006500 बन्दोबस्ती दी गई ₹750000 (iii) 2012–13 में पुनः जुलाई में निविदा आमंत्रित की गयी और ₹915000 की जगह मात्र ₹660000 बन्दोबस्ती की राशि निर्धारित की गयी
2	वीर कुंवर सिंह हाता स्थित शौचालय	40000	44000	–	–	34000	14000	48000	(i) 2011–12 में जगदीश राम को ₹74000 में स्वीकृति दी गई (ii) 2012–13 में जगदीश राम को ₹40000 में स्वीकृति दी गयी (iii) 2013–14 में जगदीश राम को ₹30000 में स्वीकृति दी गई जबकि बन्दोबस्ती ₹44000 में की गयी थी अर्थात बन्दोबस्ती से ₹14000 कम पर स्वीकृति दी गयी
3	सब्जी बाजार अलगड़हा	115170	374000	–	–	–	199000	199000	(i) 2010–11 में विजय कुमार मिश्रा के पास बकाया ₹35334 को माफ कर दिया गया। नगर पंचायत द्वारा इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया (ii) 2012–13 में निर्धारीत राशि ₹115170 थी ₹340000 में श्री राजीव कुमार की स्वीकृति दी गई (iii) 2013–14 में राशि निर्धारित ₹374000 थी लेकिन श्री आदित्य कुमार को निर्धारित राशि से कम पर ₹175000 पर स्वीकृति दी गयी
4	दिदिया माई के पास गढा	–	–	–	–	940	940	1880	2009–10 में बन्दोबस्ती ₹940 पर की गयी थी जिसके बाद 2010–11, 11–12, 12–13, 13–14 में बन्दोबस्ती नहीं की गयी
5	नया टोला मोड़ स्थित शौचालय	–	–	–	–	3101	3101	6202	2009–10 में ₹3101 पर बन्दोबस्ती की गई थी। इसके बाद 2010–11 से 13–14 तक बन्दोबस्ती नहीं की गयी थी
6	साइकिल टीन–टीकट	42361	–	–	–	37361	42361	79722	(i) 2010–11 में ₹38510 में बन्दोबस्ती की गई थी। 11–12 में बन्दोबस्ती नहीं हुई (ii) 2012–13 में बन्दोबस्ती ₹5000 में श्री सुरेश यादव से की गई। 2013–14 में बन्दोबस्ती नहीं की गयी थी (iii) 2011–12 में नगर पंचायत के अनुसार विभागीय वसूली नहीं होने से ₹33000 की क्षति हुई।
							कुल	591304	

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) बस, मैक्सी, टैक्सी, जीप, टेम्पु स्टैण्ड की बन्दोबस्ती राशि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार वर्ष 2012–13 में ₹915000 एवं 2013–14 हेतु ₹1006500 निर्धारित थी। वर्ष 2013–14 हेतु सबसे ज्यादा बोली ₹1150000 श्री मुकेश कुमार द्वारा लगायी गयी एवं दूसरी बोली श्री राजीव कुमार द्वारा ₹1130000 लगायी गयी। नियमानुसार सबसे अधिकतम डाकवक्ता श्री मुकेश कुमार के नाम डाक स्वीकृत कर दी गयी मगर निलामी राशि का 60 प्रतिशत जमा नहीं करने के कारण श्री मुकेश कुमार की बन्दोबस्ती रद्द होने की स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोली डाकवक्ता के नाम कर देनी चाहिए थी मगर उस दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया यानि श्री राजीव कुमार जिन्होंने ₹1130000 की बोली लगाई थी उन्हें बन्दोबस्त नहीं किया गया और दिनांक 01.04.2012 से 31.07.2012 तक विभागीय वसूली की जाती रही। आगे जॉच में पाया गया कि पुनः दिनांक 15.07.2012 को बन्दोबस्ती सूचना निकाली गयी थी जो नियम के प्रतिकूल था। पूर्व की बन्दोबस्ती राशि ₹915000 निर्धारित थी उससे कम राशि ₹660000 निर्धारित करना उचित नहीं था। साथ– साथ स्पष्ट होता है कि दिनांक 01.08.2012 से 31.03.2013 अर्थात 8 माह हेतु (660000/12x 8) यानि ₹44000 निर्धारित की गई, इसके लिए अधिकतम डाकवक्ता श्री राजीव कुमार थे, जिन्होंने ₹610000 की बोली लगाई। यह वही राजीव कुमार हैं जिन्होंने पूर्व में ₹1130000 की द्वितीय अधिकतम बोली लगायी थी।

इस प्रकार 2013–14 हेतु बन्दोबस्ती की राशि ₹1006500 निर्धारित थी मगर मात्र ₹750000 जो बन्दोबस्ती राशि से ₹256500 कम पर श्री राजन सिंह को स्वीकृति दे दी गयी। लेखापरीक्षा को यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि वर्ष 2012–13 में प्रथम अधिकतम डाकवक्ता की बन्दोबस्ती रद्द होने पर द्वितीय अधिकतम डाकवक्ता श्री राजीव कुमार (₹1130000) को बन्दोबस्त नहीं किया गया और पुनः जुलाई में निविदा आमंत्रित की गई और ₹915000 की जगह मात्र ₹660000 बन्दोबस्ती राशि निर्धारित की गयी। वर्ष 2013–14 में बन्दोबस्ती राशि ₹1006500 के बावजूद मात्र ₹750000 में श्री राजन सिंह को स्वीकृति दी गई। इस प्रकार बन्दोबस्ती की राशि से कम राशि पर सैरातों की बन्दोबस्ती की गयी।

(ii) वीर कुंवर सिंह हाता स्थित शौचालय की बन्दोबस्ती में 2011–12 हेतु राशि ₹39600 निर्धारित थी और इसके लिए अधिकतम डाकवक्ता श्री जगदीश राम को ₹74000 में इस सैरात की बन्दोबस्ती स्वीकृत की गई। वर्ष 2012–13 में इस सैरात की बन्दोबस्ती राशि ₹74000 से कम (यानि पूर्व की स्वीकृति राशि) पर ₹40000 निर्धारित की गयी एवं जगदीश राम को ही स्वीकृति कर दी गयी। वर्ष 2013–14 में इसकी बन्दोबस्ती राशि ₹44000 निर्धारित की गयी और मात्र ₹30000 में श्री जगदीश राम को ही स्वीकृति कर दी गई यानि बन्दोबस्ती राशि से कम पर स्वीकृति दी गयी। इसका कारण लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया।

(iii) सब्जी बाजार अलगड़हा हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु निविदा आमंत्रण सूचना में बन्दोबस्ती राशि ₹115170 निर्धारित थी जिसके लिए श्री राजीव कुमार अधिकतम डाकवक्ता निर्धारित थी जिसके लिए श्री

148

राजीव कुमार अधिकतम डाकवक्ता को ₹340000 में स्वीकृति प्रदान की गई। 2013–14 हेतु बन्दोबस्ती राशि ₹374000 निर्धारित थी मगर श्री आदित्य कुमार को बन्दोबस्ती राशि से भी कम राशि यानि ₹175000 पर कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी जो वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। इस प्रकार नगर पंचायत को ₹199000 की क्षति हुई। वर्ष 2010–11 हेतु श्री विजय कुमार मिश्रा को ₹93334 में बन्दोबस्त किया गया था मगर उनके द्वारा मात्र ₹58000 जमा किया गया और ज्ञापांक सं. 811 दिनांक 17.09.2013 को कार्यालय आदेश के द्वारा शेष राशि ₹35334 (93334–48000) नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा माफ कर दिया गया। लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वर्ष 2013–14 में ₹199000 कम पर बन्दोबस्ती क्यों की गई एवं ₹35334 जो वर्ष 2010–11 का श्री विजय कुमार मिश्रा के पास बकाया था, उसे किस अधिकार से माफ कर दिया गया।

(iv) दिदिया माई के पास गढा की बन्दोबस्ती वर्ष 2009–10 में ₹940 पर दी गई थी इसके बाद वर्ष 2010–11, 11–12, 12–13 एवं 13–14 यानि चार वर्षों से इसकी बन्दोबस्ती नहीं की जा रही है। इस कारण नगर पंचायत कोष को वित्तीय क्षति हो रही है। दिनांक 30.12.2013 को श्री राजू चौधरी द्वारा तीन वर्षों हेतु बन्दोबस्ती करने की मांग की गयी थी मगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गयी। लेखापरीक्षा को इन अनियमितताओं के कारण से अवगत नहीं कराया गया।

(v) नया टोला मोड़ स्थित शौचालय की बन्दोबस्ती वर्ष 2009–10 में ₹3101 पर की गई थी। इसके बाद वर्ष 2010–11 में 2013–14 तक इसकी बन्दोबस्ती नहीं की गयी। बन्दोबस्ती नहीं होने से होनेवाले आर्थिक क्षति के कारणों से लेखापरीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया।

(vi) साइकल टीन– टिकट हेतु वर्ष 2010–11 के लिए श्री त्रिलोकी सिंह को ₹38510 में बन्दोबस्ती किया गया था। इसके बाद 2011–12 हेतु इच्छुक व्यक्ति के अभाव में बन्दोबस्ती नहीं हुई, लेकिन जो पत्र दिनांक 16.05.2011 को कार्यपालक पदाधिकारी को लिखा गया था उसमें स्पष्ट था कि अगर विभागीय वसूली की जाती तो ₹33000 की वसूली हो सकती थी। संचिका के अनुसार विभागीय वसूली का प्रमाण नहीं मिला। इस प्रकार पाया गया कि अगर विभागीय वसूली होती तो ₹33000 की क्षति से बचा जा सकता था। वर्ष 2012–13 में बन्दोबस्ती जमा ₹42361 निर्धारित थी मगर मात्र ₹5000 श्री सुरेश कुमार यादव को कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा दल को निर्धारित बन्दोबस्ती राशि से कम पर बन्दोबस्ती करने एवं 2013–14 में बन्दोबस्ती नहीं होने के कारणों से अवगत नहीं कराया गया। उपर्युक्त सभी टिप्पणियों से स्पष्ट है कि कई सैरातों में पूर्व के बन्दोबस्ती राशि से अगले वर्ष कम पर बन्दोबस्ती किया गया था। इस परिस्थिति में विभागीय वसूली भी नहीं कराया गया। इस प्रकार नगर पंचायत, जगदीशपुर को भारी आर्थिक क्षति लगभग (591304 + 35334) ₹626638 की हुई एवं सैरात के बन्दोबस्ती में भारी अनियमितता बरती गयी।

नगर पंचायत द्वारा जवाब में बताया गया कि जॉच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जवाब सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस संबंध में कार्रवाई पूर्व में ही की जानी चाहिए थी ताकि भारी आर्थिक क्षति से बचा जा सकता था। अतः सैरात की बन्दोबस्ती में की गई भारी अनियमितता की विभागीय जॉच की जाय एवं इसके कारण हुई राजस्व की हानि के लिए जिम्मेवार व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाय एवं की गई कार्रवाई से अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाय।

भाग– II

खण्ड – 'ख'

कंडिका सं.–2 संचार टावरों पर पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क बकाया राशि ₹3.52 लाख

नगर पंचायत, जगदीशपुर के मोबाइल टावर से संबधित प्रस्तुत संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि नगर निकाय क्षेत्रान्गर्त कुल सात मोबाइल टावर अधिस्थापित है। इन सभी टावरों का पंजीकरण 2007–08 में हुआ था। स्थापना के बाद से अभी तक इन सभी सात मोबाइल टावर कम्पनियों द्वारा राशि जमा नहीं की गयी थी जिसके फलस्वरुप 2014 तक राशि ₹352000 बकाया थी।

राशि की वसुली की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाये एवं फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए। जवाब में बताया गया कि वसूली हेतु नोटिस भेजा जा रहा है। जमा होने के उपरान्त अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।

(विवरणी परिशिष्ट– IV पर संलग्न)

कंडिका सं.– 3 सैरात बंदोबस्ती में स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाना

सैरातों की बंदोबस्ती का एकरारनामा प्रधान सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 1920/आर0सी0/सी0एस0 दिनांक 14.08.02 तथा सचिव– सह– आई0जी0पंजीकरण, बिहार के पत्रांक– 549 दिनांक 15.03.05 के आलोक में स्टाम्प पेपर पर करना है तथा बंदोबस्तधारी कुल बन्दोबस्त की राशि का तीन प्रतिशत के बराबर स्टाम्प शुल्क लेना है। लेकिन जगदीशपुर, नगर पंचायत में सैरातो की बन्दोबस्ती से संबधित संचिकाओं के जांच में पाया गया कि बन्दोबस्तधारी से परवाना निर्गत करने से पहले स्टाम्प पेपर पर उपर्युक्त नियमानुसार एकरारनामा नहीं किया गया इसके कारण इससे प्राप्त होने वाली राशि ₹67692 की हानि हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

क0सं0	बन्दोवस्ती का बर्ष	बन्दोबस्ती की कुल राशि	मुंद्राक शुल्क
1.	2012–13	1129000	33870
2.	2013–14	1127400	33822
कुल			67692

(विवरणी परिशिष्ट– V पर संलग्न)

कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि मुद्रांक शुल्क की वसुली हेतु पुर्व में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए एकरारनामा नहीं किया गया था। आगे से सुझाव का पालन किया जाएगा।

बंदोबस्ती का एकरारनामा बंदोबस्तधारी से नहीं करने के कारण हुई हानि राशि ₹67692/–संबधित व्यक्तियों से वसुलनीय है।

कंडिका सं.– 4 विविध रसीद एवं होल्डिंग रसीद की राशि जमा नहीं– ₹96982

लेखा वर्ष 2012–13 से 13–14 के विविध रसीद एंव होल्डिंग रसीदों की जॉच में पाया गया कि ₹96982 की राशि न ही दैनिक संग्रह पंजी में दर्ज की गयी और न ही नगर पंचायत निधि में जमा की गयी। विवरण निम्नलिखित है–

क्र.सं.	विविध रसीद सं.	होल्डिंग रसीद सं.	राशि प्राप्त (₹)	जमा राशि (₹)	कम जमा राशि	अभियुक्ति
1	301 से 310	–	50000	50000	–	राशि अंकेक्षण के दौरान जमा परन्तु उचित साक्ष्य नहीं
2	–	4636–4651	12101	12101	–	राशि अंकेक्षण के दौरान जमा परन्तु साक्ष्य प्रस्तुत नहीं
3	–	6025–6035	6889	6889	–	राशि जमा परन्तु उचित साक्ष्य का अभाव
4	–	–	96982	–	96982	
		कुल	165972	68990	96982	

कुल प्राप्त राशि ₹165972 में से कुल ₹68990 (12101+ 6889+ 50000) की राशि के बारे में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि अंकेक्षण के दौरान बैंक में जमा कर दी गयी। परन्तु राशि को बैंक में जमा करने से संबंधित कोई साक्ष्य संवीक्षा के दौरान नहीं पाया गया। ₹12101, ₹6889 एवं ₹50000 का बैंक में जमा अंकेक्षण अवधि में का साक्ष्य बैंक जमा पर्ची, चालान, बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक की छायाप्रति नहीं पाया गया। अतः राशि ₹68990 (50000+ 12101+ 6889) को बैंक/नगर निधि में जमा को अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

नहीं जमा राशि ₹96982 के बारे में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि राशि जमा कराकर सूचित की जायेगी। अतः नहीं जमा ₹96982 को जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलकर नगर निधि में जमा किया जाय। (विवरणी परिशिष्ट प्रा ५(संलग्न)

कंडिका सं.–5 बकाया राशि की वसूली नहीं– ₹240778

कार्यालय नगर पंचायत, जगदीशपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये बकाया सम्बंधी विवरणी से स्पष्ट है कि विभिन्न बन्दोवस्तधारीयों के पास वर्ष 2006–07 से 2012 –13 तक ₹5,30,778 की राशि बकाया थी। जॉचोपरान्त पाया गया कि केवल राजीव कुमार 2012–13 में बस स्टैण्ड एवं सब्जी बाजार का बन्दोवस्ती किए थे और उन पर कमशः ₹1,54,000 एवं ₹1,36,000 का बकाया था पर सर्टिफिकेट केस किया गया है। सर्टिफिकेट केस क्रा साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया। शेष राशि ₹2,40,778 वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक का है और इसकी वसूली अभी तक नही की जा सकी है।

अतः लेखापरीक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर कि रु 2,40,778 के लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी पर क्यों न अधिमार आरोपित किया जाए।

(विवरणी परिशिष्ट– VI पर संलग्न)

कार्यालय द्वारा जवाब में बतलाया गया कि बार– बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी राशि जमा नहीं की गयी, पुनः नोटिस जारी किया जायेगा। जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि इतनी पुरानी राशि की वसूली हेतु न तो सर्टिफिकेट केस किया गया और न ही वसूली ही किया गया।

अतः ₹154000 एवं ₹136000 बकाया के सर्टिफिकेट केस किये जाने को अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाय। शेष ₹240778 को वसूली संबंधित व्यक्ति/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूली किया जाय।

कंडिका सं.–6 योजना की स्थिति

योजना– चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

संख्या– 06/2012–13

नाम– नगर पंचायत, जगदीशपुर के 18 वार्डो में एक चापाकल का निमार्ण

प्राक्कलित राशि– ₹320310/–

कार्यादेश– 449 बी/09.08.12

प्रशासनिक स्विकृति– 08.08.12 कार्यापालक पदाधिकारी

तकनीकि स्वीकृति– अंकित नहीं

अंतिम तिथि– 09.10.12

अभिकर्त्ता – भरत प्रसाद, सफाई जमादार

भुगतान विवरणी–

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि
1	984421	04.08.12	15000
2	984423	22.08.12	100000
3	984438	27.09.12	100000
4	984458	10.01.13	60000
5	984466	19.02.13	36067
		वैट	8662
		रायल्टी	101
कुल			319830

योजना सशक्त स्थायी समिति की बैठक –30.07.12 एवं आम बैठक – 04.08.12 से पारित है।

समान की विवरणी–

क0सं0	समान का नाम	रसीद सं0	तिथि	राशि	दुकान का नाम
1.	हार्डवेयर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	216540	शर्मा हार्डवेयर नया पोखरा
2.	सीमेंन्ट, सोन बालु, ईट	48	अनुपलब्ध	34023	– वही–

मस्टर रौल विवरणी

क0सं0	तिथि	राशि
1.	15.12.12 से 16.01.13	69247

कुल अभिश्रव– 319810/–

मापी पुस्त विवरणी

1. अंतिम मापी– 15.12.12 राशि– ₹319830/–
2. मापी की तिथि–15.12.12

अंकेक्षण आपत्ति

1. अंतिम मापी 15.12.12 को किया गया, जबकि मस्टर रौल 15.12.12 से 16.01.13 तक का संलग्न पाया गया। जब अंतिम मापी 15.12.12 को किया गया तो मस्टर रौल मे मजदुरों को किस कारण से 15.12.12 से 16.01.13 तक लगाया गया, एवं भुगतान किया गया। अंतिम मापी कार्य समाप्ति के बाद ही किया जाता है।

2. संचिका में चापाकल के अधिष्ठापन के पहले एवं बाद का फोटो संलग्न नहीं पाया गया तथा 12 वार्ड पार्षदों द्वारा ही अधिष्ठापन प्रमाण प्रत्र दिया गया जबकि मापी पुस्त के अनुसार 18 चापाकल लगाए गए थे।

3. संलग्न अभिश्रव मे तिथि अंकित नहीं पायी गयी जिससे कारण यह कहना मुश्किल है कि सामान कार्य प्रारंभ के पहले खरीदा गया या कार्य समाप्ति के बाद।

4. जब कार्य 15.12.12 से शुरु हुआ था तो 4.8.12 से 22.12.12 तक अभिकर्ता को ₹215000/– का अग्रिम क्यों एवं किस आधार पर दिया गया। पहले अग्रिम के समायोजन के बिना दूसरा अग्रिम प्रदान करना कार्यदेश के कम सं0 4 का स्पष्ट उल्लंघन था।

नगर विकास विभाग में योजना का कार्य निविदा के माध्यम से करना है लेकिन कार्य विभागीय किस आधार पर किया जा रहा था। कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि कनीय अभियंता से विचार–विमर्श कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायगा। अतः स्पष्ट जबाब प्राप्त होने तक व्यय की गयी राशि ₹319830/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं.–7 सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं ₹584199

अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत, जगदीशपुरा द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करायी गयी आकड़ों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर 31.03.2014 तक राशि ₹584199/–भवन कर के रुप मे बकाया थी।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VIII पर)

विवरणी इस प्रकार है।

कुल माँग	––₹584199.00
प्राप्त की गई कुल राशि	––शुन्य––
बकाया राशि	––₹584199.00

उक्त बकाया राशि ₹584199.00 की वसुली के लिये आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए जाए, एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि वसूली की प्रकिया जारी है। वसूली के उपरान्त अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।

कंडिका सं.–8 प्रशासनिक भवन का फर्नीचर खरीद ₹270000

प्रशासनिक भवन का फर्नीचर खरीद संचिका के अवलोकन के पश्चात् निम्नलिखित बाते सामने आयी–

1. फर्नीचर की खरीदारी का निर्णय सशक्त स्थायी समिती की बैठक सं0– 03 दिनांक 18.10.12 के प्रस्ताव सं0– 02 में लिया गया था।
2. इस क्रय के लिए श्री वशिष्ट सिंह को कार्यादेश स0–643/20.10.12 द्वारा विभागीय अभिकर्ता नियुक्त किया गया था।
3. अभिकर्ता का राशि– 2,70,000/– का भुगतान किया गया।

क्रम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि
1.	984447	30.10.12	100000
2.	984448	08.11.12	100000
3.	984472	08.03.113	70000
			2,70,000

4. विभागीय अभिकर्ता श्री वशिष्ट सिंह द्वारा मापी पुस्त प्रस्तुत किया गया। जिसके पृष्ठ स0 2 में 115200/– के फर्नीचर खरीद का जिक पाया गया।
5 सशक्त स्थायी समीति की उपरोक्त बैठक में फर्नीचर की खरीदारी के साथ– साथ कार्यालय भवन के फर्श का निर्माण का कार्य भी करना था।

अंकेक्षण–आपत्ति

1. बिहार वित्त नियम की धारा 131 (1) में यह स्पष्ट उल्लेख है, कि एक लाख से अधिक एवं 25 लाख से कम रुपये के सामान की खरीदारी के लिए Limited Tender enquiry प्रकिया का पालन करके ही सामान की खरीदारी की जानी चाहिए, परन्तु फर्नीचर की खरीदारी में उसका पालन नही किया गया।
2. श्री वशिष्ट सिंह को कार्यालय का सामान की आपूर्ति के लिए विभागीय अभिकर्ता किस आधार पर बनाया गया एवं मापी पुस्त में उसकी प्रविष्टि क्यों एवं किस आधार पर की गयी।
3. संचिका में आपूर्ति किए गए सामान का अभिश्रव संलग्न नही पाया गया।
4. खरीदे गए सामान की स्टॉक पंजी मे प्रविष्टि नहीं की गयी।

कार्यालय द्वारा यह जबाब दिया गया कि नियम की जानकारी नहीं होने के कारण प्रकिया में कमी पायी गयी। आगे से अंकेक्षण द्वारा दिये गये सुझाव के आधार पर सामान को खरीदा जाएगा। जबाब मान्य नहीं है क्योंकि बिहार सरकार ने सामान की खरीदारी एवं सेवाओ को प्राप्त करने के लिए ही बिहार वित्त नियम बनाया था। अतः भुगतान की राशि 2,70,000/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

142

कंडिका सं.–9 वाटर टैकर की खरीदारी

वाटर टैकर की खरीदारी से संबधित संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आयी।

(i) वाटर टैकर खरीदने का निणर्य सशक्त स्थायी समिति की बैठक सं0–48 प्रस्ताव सं0–03 दिनांक 28.11.2011 को लिया गया था।

(ii) राशि 158000/– का भुगतान चेक सं0– ए–101597 दिनांक– 13.11.2011 द्वारा किया गया था।

(iii) सामान के लिए कार्यालय द्वारा पत्र सं0–90/जगदीशपुर दिनांक–21.02.2012 द्वारा आपूर्तिकर्ता शिव इंजनीयरींग वर्क्स की आपूर्ति करने का आदेश निर्गत किया गया।

(iv) तीन इच्छुक फर्म ने आपूर्ति के लिए निविदा दी जिनकी तुलनात्मक विवरण के आधार पर निम्न निविदादाता शिव इंजीनीयरींग वर्क्स का चयन किया गया।

(v) इसके लिए एक अल्पनिविदा सूचना सं0– 4/2010–11 तिथि– 26.12.11 को प्रकाशित की गयी।

अंकेक्षण आपत्ति

1. बिहार वित्त नियम के नियम –131 (I) में यह स्पष्ट उल्लेख है, कि एक लाख से अधिक एवं 25 लाख से कम रुपए के सामान की खरीदारी के लिए **Limited Tender Enquiry** प्रक्रिया का पालन करके ही सामान की खरीदारी की जानी चाहिए, परन्तु 158000/– के सामान की खरीदारी में उसका पालन नही किया गया।
2. सशक्त स्थायी समीति की बैठक सं0– 48 प्रस्ताव सं0– 3/28.11.2011 के बैठक की **Proceeding** की प्रति अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।
3. अल्पनिविदा सूचना सं0–4/2010–11 के क्रम स0– 1 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आपूर्ति को मान्यता प्राप्त कम्पनी का अधिकृत डीलर होने का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपूर्तिकर्ता किसी भी अधिकृत कम्पनी का डीलर नहीं था।
4. आपूर्ति किए गए सामान के गुणवता की जॉच किस स्तर से की गयी, संचिका में उपलब्ध नहीं पाया गया।
5. खरीदे गए सामान की प्रविष्टि स्टॉक पंजी में की गयी या नहीं संचिका से पता नहीं चल सका, अंकेक्षण की समाप्ति तक स्टॉक पंजी दल के समक्ष उपलब्ध नहीं करायी गयी।
6. बिहार वैट अधिनियम की धारा– 40 (1) के अनुसार सरकारी खरीद पर अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि प्रस्तावित दर पर काटकर ही अंतिम भुगतान करना था, एवं काटी गयी राशि संबधित शीर्ष में कार्यालय द्वारा जमा किया जाना चहिए था, परन्तु अंकेक्षण के कम में यह पता चला कि वैट की राशि प्रस्तावित दर (13.5 प्रतिशत) पर नही काटकर पूर्ण राशि का भुगतान किया गया, फलतः राशि ₹21397/– का अधिक भुगतान हुआ।

कार्यालय द्वारा यह जबाब दिया गया कि नियम के जानकारी नहीं होने के कारण प्रकिया में कमी पायी गयी। आगे से अंकेक्षण द्वारा दिये गये सुझाव के आधार पर सामान को खरीदा जाएगा। जबाब मान्य नहीं है क्योंकि बिहार वैट अधिनियम 2005 में ही लागु हो चुका था एवं कार्यलय द्वारा ही प्रकाशित निविदा की शर्त संख्या 1 का उल्लधंन किया गया, अतः अधिक भुगतान की राशि ₹21397/– संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है एवं शेष राशि ₹136603/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं.–10 दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय रूपया ₹14.10 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0–4 न से 01.1012/87–1231/न.वि.वि. दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगाई गई थी। परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि नगर पंचायत, जगदीशपुर में वर्ष 2012–13 से 2013–14 के दौरान ₹1409846 दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया जो सरकार के दिशानिर्देशों के विरूद्ध एवं अप्राधिकृत था। (विवरणी परिशिष्ट– IX पर)

दैनिक मजदूरी पर किए गए व्यय की सरकार से मंजूरी नहीं ली गई।

कार्यालय द्वारा कहा गया कि कर्मियो की कमी की वजह से दैनिक मजदुरो से जनहित में कार्य कराया जाता है। जबाब मान्य नहीं है, सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ठेके द्वारा या स्वयं सेवी संगठन द्वारा कार्य कराया जा सकता है, अतः स्पष्ट जबाब प्राप्त होने तक व्यय की गयी राशि ₹1409846/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं.–11 तेरहवीं राज्य वित्त आयोग

संख्या– 02/2012–13
नाम– जगदीशपुर, नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक– एक चापाकल का निमार्ण
प्राक्कलित राशि– ₹320310/–
कार्यादेश– 191/03.04.12
प्रशासनिक स्वीकृति– 30.03.12 कार्यपालक पदाधिकारी
तकनीकि स्वीकृति– अंकित नहीं
अंतिम तिथि– 3.5.12
अभिकर्त्ता – श्री वशिष्ट सिंह,

भुगतान विवरणी

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि
1	अ–101596	13.04.12	7500
2	984401	04.05.12	150000
3	984402	15.05.12	100000
4	984417	11.06.12	45133
		वैट	9883
		रायल्टी	570
कुल			313086

योजना आम बैठक –50/28.8.12, प्रस्ताव सं0–02 से पारित है।

समान की विवरणी

क0सं0	समान का नाम	रसीद सं0	तिथि	राशि
1.	हार्डवेयर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	247078/–

मापी पुस्त विवरणी

अंतिम मापी– 10.05.12 राशि ₹313086/– कनीय अभियंता।

मापी की तिथि–15.12.12

अंकेक्षण आपत्ति

1. बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार अंतिम भुगतान करने से पहले वैट की राशि की कटौती कार्यालय द्वारा करने के बाद ही अंतिम भुगतान करना होता है एवं काटी गयी राशि संबधित 'शीर्ष में जमा कार्यालय द्वारा की जानी है। परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि वैट की राशि की कटौती नहीं की गयी एवं राशि का अंतिम भुगतान किया गया फलस्वरुप राशि ₹11765/–का अधिक भुगतान हुआ, जो संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।
2. मापी पुस्त के पेज सं0 4 में प्लेटफार्म के निमार्ण का जिक्र किया गया है परन्तु संचिका एवं मापी पुस्त के अवलोकन से यह पता चला कि न तो संचिका में सीमेन्ट, बालु एवं ईट का अभिश्रव संलग्न पाया गया और न ही मापीपुस्त में इसका जिक्र पाया गया जिससे पुरी कार्य संदेहास्पद प्रतीत होती है।
3. संचिका में चापाकल के अधिष्ठापन के पहले एवं बाद का फोटो संलग्न नहीं पाया गया तथा किसी भी वार्ड पार्षद द्वारा अधिष्ठापन प्रमाण प्रत्र संलग्न नहीं पाया गया।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि कनीय अभियंता से विचार– विमर्श कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायगा। अतः स्पष्ट जबाब प्राप्त होने तक व्यय की गयी राशि ₹313086/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं.–12 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नही

Bihar Primary Education Rules 1959 and Bihar Health Cess Rules 1972 के अनुसार सभी नगर निकाय शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के रुप में प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत collection Charge के रुप में नगर निकाय में रखेगें एवं बाकि बचे 90 प्रतिशत राज्य सरकार के संबधित शीर्ष में जमा करेगें परन्तु जगदीशपुर, नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत किए गए शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर से संबंधित आकड़ों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्ष 2012–13 से 2013–14 की अवधि में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर मद में कुल 669199.00 राशि प्राप्त हुई लेकिन वसूली शुल्क 10% राशि ₹66920.00 की कटौती कर शेष राशि ₹602279.00 संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गयी। विवरणी इस प्रकार है–

वर्ष	शिक्षा उपकर	स्वास्थ्य उपकर	कुल राशि
2012–13 से 13–14	334599.62	334599.62	669199.24
घटाव 10% वसूली प्रभार			(–)669120.00
कुल योग			602279.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– X पर)

उपर्युक्त राशि ₹602279 संबंधित शीर्ष में जमा किए जाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाए एवं जमा के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाए। जवाब में बताया गया कि जमा करने की प्रकिया प्रारंभ कर दी गयी है। अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।

कंडिका सं.–13 होल्डिंग टैक्स की बकाया राशिः ₹28.56 लाख

कार्यालय नगर पंचायत, जगदीशपुर द्वारा होल्डिग टैक्स वसूली से संबधित प्रतिवेदन के जॉच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में टैक्स के रुप में वसूलनीय है। विवरणी निम्न है–

क0	वर्ष	पूर्व का बकाया	इस वर्ष की वसूलनीय राशि	कुल वसूलनीय राशि	वर्ष के दौरान वसूली	बकाया राशि
1	2012-13	2123720	951064	3074784	578387	2496397
2	2013-14	2496397	951064	3447461	591107	2856354

अतः रुपये ₹28,56,354 की जल्द से जल्द वसूली कर अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाए। जवाब में बताया गया कि वसूली की प्रकिया जारी है। वसूली होने के उपरान्त अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– XI पर)

कंडिका सं.–14 खतरनाक एवं भयावह व्यवसाय

नगर पंचायत, जगदीशपुर द्वारा खतरनाक एवं भयावह मांग व वसूली पंजी को, अंकेक्षण के समक्ष उपलब्ध नही कराया गया, जिसके कारण बकाया, मांग एवं सग्रहण की अधतन स्थिति का पता अंकेक्षण द्वारा नही चल सका, हालाकिं नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार 31.03.14 तक विभिन्न दुकानदारों पर कुल ₹2165 बकाया था। विवरणी इस प्रकार है–

क0सं0	वर्ष	कुल बकाया	कुल वसुली	शेष
1	2012-13	10040	5995	4045
2	2013-14	11260	9095	2165

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– XII पर)

खतरनाक एवं भयावह मांग व वसूली पंजी को अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय और बकाया राशि की वसूली के लिये आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाया जाये। जवाब में बताया गया कि वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।

कंडिका सं.–15 अप्रस्तुत अभिश्रव

नगर पंचायत, जगदीशपुर के वर्ष 2012–13 से 13–14 लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अभिश्रव लेखापरीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

138

क0सं0	अभिश्रव सं0	तिथि	राशि
1.	220	04.11.13	30000
2.	221	04.11.13	10500
कुल			40500

जवाब में बताया गया कि पैसे को पासबुक में जमा किया गया है परन्तु कार्य के दौरान अभिश्रव इधर–उधर होने के कारण अगले अंकेक्षण में जमा किया जायेगा। अप्रस्तुत अभिश्रव अगले अंकेक्षण दल के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत किया जाए। तबतक ₹40500 की राशि अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

भाग –III

कंडिका संख्या– 1 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था, हालाकिं विभिन्न राकड़बहियों के अवलोकन से यह पता चला कि वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2013–14 की अवधि में नगर पंचायत, जगदीशपुर को राशि ₹91281251.00 अनुदान के रुप में प्राप्त हुई। विवरणी इस प्रकार है–

क0सं0	वर्ष	राशि
1.	2012–13	22623122.00
	2013–14	68658129.00
कुल		91281251.00

प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पंत्र अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोग पंजी के संधारण नहीं होने से यह पता नहीं चल सका कि प्राप्त अनुदान में से कितनी राशि खर्च की गयी एवं कितनी बची रह गयी। अनुदान एवं अनुदान विनियोग पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

कंडिका संख्या– 2 निरस्त

कंडिका संख्या– 3 सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत, जगदीशपुर में लेखाओं का संधारण संतोषप्रद नहीं था। बहुत से मुख्य लेखा जैसे– वार्षिक लेखा, बन्दोबस्ती पंजी आदि का संधारण नहीं किया गया था। प्रतिवेदन में सन्निहित कंडिकाओं से स्पष्ट है कि नियमावली में दिये गये अनुदेशों का पालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की अनियमितताएँ हुई। अतः लेखाओं के संधारण में अधिकारियों का ध्यान देना अपेक्षित है।

–हस्ता0–
विश्वपति सिंह
(स0ले0प0अधि0)
–अनुमोदित–
उपमहालेखाकार (एस0एस0– I)
––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार